आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
14.03.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम उपस्थित। आज की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। शिकायतकर्ता की बातों से सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहमत हैं। उनका कहना है कि इलाके में नेटवर्क नहीं होने के कारण डीलर को आवंटन कम मिला था। इसलिए कुछ लाभुकों को राशन वितरण नहीं किया जा सका। आयोग ऐसे तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता। सुनवाई के दौरान सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को बताया कि PDS डीलर के निलंबन की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही हैं। आयोग का मानना है कि निलंबन की प्रक्रिया शुरू करना प्रर्याप्त नहीं है यदि डीलर ने राशन वितरित नहीं किया है और उसे राशन उपलब्ध कराया गया है तो ऐसे डीलरों को चिन्हित कर उन पर प्राथमिकी दर्ज कराया जा सकता है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि 15 दिनों के अन्दर सभी को निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाय और जिनको उस अवधि का राशन उपलब्ध नहीं हुआ है, उनको उस अवधि का राशन मुआवजा सहित उपलब्ध कराएँ, जो कि 1.25 गुणा बनता है। आयोग के आदेश का अनुपालन यदि 15 दिनों के अन्दर करने का प्रमाण जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को नहीं भेजा तो आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के खिलाफ NFSA के तहत् कार्रवाई करने को बाध्य होगा। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन लोगों से पंचिंग करा लिया जाता है और कहा जाता है कि राशन बाद में ले जाना इस प्रक्रिया में पूर्व माह का राशन गायब कर लिया जाता है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आदेश देता है कि इस मामले में स्थलीय जांच कर यथा शीघ्र आयोग को अवगत कराएँ। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–19.04.2023 को निर्धारित की जाती है। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	